SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR (Ausgram): Sir, I was trying for the last seven days to raise this matter regarding fall of jute price in the House. I had tabled a Calling Attention Notice and also sent a notice under rule 377. I am happy that Shri Jyotirmoy Bosu has been allowed to raise it. But, after the Minister's statement, we must be permitted to put questions and a discussion must be allowed in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up..

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I thought that you would make some observations that the Minister should make a statement ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has gone on record. It would be in the interest of the Minister to come forward with a statement.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr. Raghuramaiah, have you heard the Deputy-Speaker? He has said that the Minister should make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. I did not say that. I said that it is in the interest of the Minister himself to come forward and make a statement. I meant the concerned Minister.

We now proceed to the Statutory Resolution and the Bill regarding the Sick Textile undertakings (Nationalisation) Ordinance.

15.51 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE

AND

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next item in the agenda is the statutory resolution regarding the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance; and the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill follows that item. The two will be taken together. The time allotted is six hours.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, just one minute. There are many provisions regarding this Bill and some are very controversial. We are told that in certain matters of safeguarding the interests of the textile workers, such as the social benefits in respect of pension, gratuity and provident fund, some important steps are being taken. We met the hon. Minister Mr. Maurya—I am thankful that he is bringing some amendments—and we also met Mr. Pai. Certain things were agreed to. And now I learn that the law officers are objecting to provident fund. Because this is not going to the Select Committee, I submit to you and through you to the hon. Minister....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you speaking on the Bill ?

SHRI S. M. BANERJEE: ....because the ordinance will have to be converted into a Bill, that if the hon. Minister can call a meeting of the Opposition Members tomorrow—my amendments will come tomorrow—we could have a formal or informal discussion so that some decision can be taken and the workers may be helped.

श्री मधु लिमये (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम विषय है और इस के सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिये, ऐसी मेरी राय है। एक सिद्धान्त के तौर पर मैं अध्यादेश के द्वारा कानून पास करने का विरोधी हूं क्योंकि उसका नतीज

[श्री मधु लिमये]

मेंह होता है कि जल्दबाजी में आप को विधेयक के द्वारा जो संसद का सत्र होता है उस में पास करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि आप किसी सेलेक्ट कमेटी या जौइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उस को नहीं भेज सकते, और अनुभव यह है कि जब कोई विधेयक सलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंटरी जौइंट कमेटी में जाता है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि वह पूर्णत दोषमुक्त हो जाता है, लेकिन मेरी राय में वह ज्यादा अच्छा बिल हो जाता है। तो इसलिये मैं इस का विरोधी हूं। लेकिन इस आर्डिनेंस का जो आशय है कि अब तक जो सूती मिलें संचालकों के द्वारा ठीक से नहीं चलाई गई जिस की वजह से वह बन्द हो गई उन मिलो को हाथ मे ले कर अब राष्ट्रीयकरण करने का जहां तक आशय है उस से मैं सहमत हूं। मेरी यह राय है कि यह जो 103 मिलें हैं, आज कुछ राज्यो के कारपोरेशन के तहत हैं और कुछ राष्ट्रीय कारपोरेशन के तहत हैं। मेरी राय मे सूती मिलो को आप राष्ट्रीय कौरपोरेशन के तहत दीजिये। लेकिन चूंकि मैं राज्यों की स्वायतता का हमेशा समर्थक हूं मैं चाहूंगा कि जिन राज्यो मे यह मिलें अधिक सख्या मे हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में ले लीजिये। दूसरी बात यह है कि आप रीजनल बोर्ड्स भी विकेन्द्री-करण के सिद्धान्त के आधार पर बनाइये और उस मे राज्यों को अधिक प्रतिनिधि-त्व दीजिये। ऐसा मैं क्यों सुझाव दे रहा हूं? क्योंकि एक कौरपोरेशन के तहत यह सारी मिलें अगर आ जायेंगी तो पूरे देश की जो टैक्सटाइल पौलिसी है उस को ठीक दिशा में आप प्रभावित कर सकेंगे। वरना राज्यों के बीच में अलग अलग अगर नीतियां चलेंगी तो उस में संघर्ष इत्यादि उत्पन्न हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि यह जो 103 मिलों का आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इसमे लूमेज स्पिन्डलेज और मजदूरों की सख्या कुल टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में जितना लूमेज है, स्पिन्डलेज और मजदूर हैं, उस का 18 और 22 प्रतिशत के बीच मे आप राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार के नियंत्रण में ले रहें हैं। तो ऐसी हालत मे इस बिल को एक लीवर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिये एक मुकम्मल लोकान्मुख टैक्सटाइल नीति को चलाने के लिये।

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी टैक्सटाइल इन्डस्ट्री मे कपड़े की कितनी वैराइटीज मिलों द्वारा पैदा की जाती है? लगभग 4,300 प्रकार। तो मेरा मुद्दा यह है कि क्या इतनी वैराइटीज की जरूरत है देश को? इस-लिये बहुत बड़े पैमाने पर इन प्रकारों की संख्या को घटा कर कुछ स्टैन्डर्डाइज्ड वैराइटीज इन लोगों को पैदा करने पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिये।

एक दूसरी विचित्र बात यह है कि यह 103 मिलें सेन्ट्रल मंत्रालय के तहत आयेंगी। लेकिन जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं वह व्यापार मंत्रालय के तहत

जायेंगी। यह तब मनुभाई शाह का चक्कर था, यह पावर ग्रेटर थे और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते वह उद्योग के क्षेत्र में भी आक्रमण करने लगे थे। मेरी राय है कि पूरी टैक्सटाइल मिलों को एक ही मंत्रालय के तहत रखना चाहिये, चाहे उद्योग मंत्रालय हो या व्यापार मंत्रालय हो। मेरी राय में उद्योग मंत्रालय में इन को आना चाहिये। व्यापार मंत्रालय में मनुभाई शाह ने इसलिये खींचा था निर्यात के लिये। लेकिन कुल उत्पादन का कितना अंश निर्यात करती हैं यह मिलें? अधिकतर टैक्सटाइल इंडस्ट्री गरीब जनता को कपड़ा खिलाने के लिये हैं। इसलिये पूरी काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री को उद्योग मंत्रालय के तहत लाना चाहिये। आप भी जरा इस बारे में प्रधान मंत्री से बात कीजिये।

टैक्सटाइल मिलों द्वारा जनता की जो सेवा की गई है उस के बारे में जरा स्थिति को देखिये। खेद की बात है इस में मैं सरकार और टैक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को जिम्मेदार समझता हूं। इस इंडस्ट्री का काम है कि जनता के लिये न्यूनतम कपड़ा तैयार करे। लेकिन खेद की बात है कि 1964 के बाद की व्यक्ति कपड़े की उपलब्धि बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही है। मैं बोलकर देता हूं। 1964 में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आफ क्लोथ थी 15, 22 मिटर्स लेकिन 1973 में गिरते यह 11, 97 मिटर्स हो गई। तो कितनी तरक्की देश की हो रही है और साधारण उपभोक्ताओं के लिये

आप के राज्य में क्या हो रहा है इस का यह परिचायक है।

दूसरी एक मजेदार बात यह है कि जो हैण्डलूम और पावर लूम का क्षेत्र है उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया ढंग से निभाया है और अपनी पैदावार 80 करोड़ मीटर तक बढ़ाई है जबकि 1964 और 1974 के बीच में मिल क्षेत्र में जितनी बड़ी मिलें थीं उन्होंने 80 करोड़ मीटर कपड़ा कम उत्पादन का काम किया है यानी हैण्डलूम और पावरलूम का जो उत्पादन इजाफा हुआ है 80 करोड़ का वह [illegible] मिल सैक्टर [illegible] [illegible]। इससे संगठित टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रोल है, उसके ऊपर विशद् प्रकाश पड़ता है इस उद्योग पर मैं [illegible] समझना चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी थी उसको उसने ठीक तरह नहीं निभाया। यह अभियोग इसलिये अधिक गम्भीर हो जाता है कि अगर आप प्रतिशत में देखें तो दस साल पहले 1964 में 80 प्रतिशत कपड़ा मिलों के द्वारा पैदा किया जाता है और अब दस साल के बाद 51 प्रतिशत पैदा किया जाता है और पहले हैण्डलूम और पावरलूम सैक्टर के द्वारा 40 प्रतिशत किया जाता था, अब 50 प्रतिशत किया जाता है। इसका मतलब है कि विकेन्द्रित क्षेत्र ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है और संगठित मिल-मालिकों के अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है।

एक और क्षेत्र में मिल सैक्टर अपने सामाजिक [illegible] को पूरा नहीं कर पाया है और यह सरकार [illegible] [illegible]

[श्री मधु लिमये]

कर रही है, उनके सामने अपने आपको समर्पित कर रही है। मैं इसके बारे में आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे आपकी आंखें खुलनी चाहिये। काटन टैक्सटाइल मिलों को 1961 और 1971 के बीच में 885 करोड़ रुपये की रुई लम्बी धागे वगैरह की मंगवाने की छूट मिली। मशीनरी उनके लिये 261 करोड़ की मंगाई गई। रंग रसायन, डाइज एण्ड कैमिकल्स 240 करोड़ के मंगाये गये इस तरह कुल मिला कर 1386 करोड़ रुपये संगठित मिल उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा में सरकार ने खर्च किये। अब उसने विदेशी मुद्रा कमाई कितनी कुल निर्यात के लिये मजुमदार साह के व्यापार मंत्रालय में यह उद्योग चला गया उसने विदेशी मुद्रा इसी दौरान 685 करोड़ की कमाई। इसका मतलब है कि इनका निर्यात और इनके ऊपर खर्च की गई विदेशी मुद्रा, इनकी कमाई और उनका खर्च इसमें हमारे राष्ट्र को 691 करोड़ खर्च अधिक करना पड़ा। इतनी मेहरबानी सरकार ने संगठित मिल उद्योग पर की है लेकिन क्या इसने कपड़े के दामों को घटाया है और कपड़े के और खास कर नियंत्रित कपड़े के उचित वितरण के बारे में कोई भी कदम आगे बढ़ाया है। सार्वजनिक हित का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं किया और एक माने में उनका जो रिकार्ड है बहुत ही लज्जास्पद है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि लांग स्टेपल काटन 1970-71 में 109 करोड़ से भी अधिक रुपये की इस उद्योग के लिये मगांई गई थी 1971-72 में 101 करोड़ से भी अधिक की, और 1972-73 में 64 करोड़ की इस तरह आप देखें कि हिन्दुस्तान जैसा गरीब देश सूडान, ईजिप्ट, अमरीका आदि देशों से आखिरकार क्यों मंगा रहा है। अमरीका इतना अमीर देश है लेकिन लांग स्टेपल काटन इतनी नहीं मंगाता है, जापान, नहीं मंगाता है और जापान जो मंगाता है वह निर्यात के लिये इस्तेमाल करता है वामानी साहब बैठे हैं इस उद्योग से वह संबंधित हैं। अगर इस बहस में वह हिस्सा लें तो जिस तरह श्री मोर्य से मैं जवाब चाहता हूं कि सरकार का इस में क्या रोल रहा है उसी तरह मैं यह भी चाहता हूं कि लोग स्टेपल काटन जो उन्होंने मंगाई वह यह बताएं कि इसमें से कितना कपड़ा आपने निर्यात किया क्या यह सही नहीं है और मैं बराबर अभियोग लगाता रहा हूं कि छः प्रतिशत से ले कर दस प्रतिशत जो काटन है उसका इस्तेमाल निर्यात के लिये किया गया बाकी 90 प्रतिशत से अधिक यह मंहगा काटन किनका कपड़ा बनाने के लिये आपने इस्तेमाल की क्या हिन्दुस्तान के जो पचास-साठ लाख बड़े लोग हैं। जो चोर-बजारी करते हैं। काला धन, स्मगलिंग आदि तरीकों से जो अमीर बने हैं। जो बड़ी बड़ी हवेलियों में, अट्टालिकाओं में रहते हैं, जिन के फ्लेट बम्बई में पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये के बनने लगे हैं क्या आपने इन लोगों के वास्ते कपड़ा पहनने के लिये बनाने पर देश की विदेशी मुद्रा को बरबाद नहीं किया है।

आजकल औद्योगिक संकट की बात चल रही है। लेकिन विगत सालों में संगठित मिलों के जो मुनाफे हैं। वे कितने बड़े हैं। मैं कुछ मिलों का जिक्र करना चाहता हूं विक्टोरिया मिल्स का मुनाफा दो साल में तीन सौ प्रतिशत बढ़ा है लक्ष्मी विष्णु का दो सौ प्रतिशत बढ़ा है कोहिनूर मिल्स कपाड़िया की है उसका 80 प्रतिशत

बढ़ा है, अम्बिका मिल का 75 प्रतिशत बढ़ा है, टाटा मिल का 50 प्रतिशत बढ़ा है, बाम्बे डाईंग का 45 प्रतिशत बढ़ा है और विनोद मिल जो उज्जैन की है उसको तो 62 लाख रुपया घाटा हुआ था 1971 में लेकिन दो साल ऐसी लूट उसने मचाई कि 1973 में उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपये का मनाफा कमाया घाटे को एकदम नफे में परिवर्तित कर लिया गया। गरीब जनता को कपड़ा पहनाने के मामले में यह इंडस्ट्री पूर्णतया असफल हो चुकी है और इन लोगों को अच्छी फटकार पार्लियामेंट से और जनता से मिलनी चाहिये यह मेरी राय है।

अब मैं उस सवाल पर आना चाहता हूं जिसमें साधारण जनता की बहुत दिलचस्पी है कि नियंत्रित कपड़े के बारे में आज तक स्थिति बिल्कुल असन्तोषजनक रही है। बार-बार आश्वासन दिया गया है कि साधारण जनता के लिये नियंत्रित कपड़ा आप बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या है? 1971 में, मैं मिलों की चर्चा कर रहा हूं, कुल के उत्पादन में 10 प्रतिशत आपने जनता के लिए नियंत्रित कपड़ा बनाया, फिर 1972 में यह 16 प्रतिशत हुआ, 1973 में गिर कर 14 प्रतिशत रह गया। 1 अप्रैल 1974 को आपने घोषणा की कि 80 करोड़ मीटर कम से कम कंट्रोल का कपड़ा हम लोग बनाएंगे। यह कुल मिलाकर 20 प्रतिशत हो जाएगा। 80 करोड़ मीटर बनेगा तो 20 प्रतिशत आप कह सकते हैं कि कंट्रोल का कपड़ा होगा। मेरी राय है कि इसको 30-35 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिये। आज क्या हो रहा है पहले एक नियम था कि निर्धारित कोटा अगर कोई मिल पूरा नहीं करेगी तो एक मीटर के पीछे एक रुपया जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा, लेकिन मिलें जो सुपरफाइन और फाइन कपड़ा बना रहीं थीं खास कर लोग स्टेपल काटन का इस्तेमाल करके उनको चार-पांच रुपये का मुनाफा होता था, मिलें क्या करती थीं? जुर्माना देती थीं और कंट्रोल का कपड़ा बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती थीं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी बेशर्म थे कि कंट्रोल का कपड़ा बनाने के अपने दायित्व को पूरा तो नहीं करते थे लेकिन जो जुर्माना एक रुपया मीटर के हिसाब से पहले था उसमें भी बकाया उनकी तरफ था और उनमें सब से बड़े कपाड़िया हैं। श्री मौर्य इस मंत्रालय में नये आदमी हैं। मैं उन से जानना चाहूंगा कि चूंकि कपाड़िया मारुति में बड़े शेयर होल्डर हैं, इसलिये क्या वह उन के सारे पापों पर पर्दा डालेंगे, कुल बकाया जुर्माने का 50 प्रतिशत से अधिक कपाड़िया के नाम से है। ये तो समाज विरोधी लोग हैं, और आप लोग उन को रेसपेक्टिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि मारुति में उनकी दो कम्पनियों स्लाटिड एंगल्ज लिमिटिड और किलिक स्लाटिड मशीन्ज लिमिटिड ने पैसा लगाया है। आप ने उन को नैशनल रेयन कार्पोरेशन पर भी कब्जा करवे दिया, काहेनूर मिल बम्बई की एक बड़ी मिल है। जब वह उनके हाथ में आई, तो उन्होंने उस में से भी कर्जे के रूप में पैसा निकालने का काम शुरू किया।

फिर सरकार ने जुर्माने को बढ़ा कर ढ़ाई रुपये प्रति मीटर कर दिया। यह अच्छी बात है। लेकिन उस में रिलेक्सेशन क्यों शुरू हो गया? इसमें चतुरी यह है कि अगर मिलें कंट्रोल्ड कपड़े के उत्पादन में एक मीटर का डिफाल्ट करें, तो उनको 5 रुपये का कपड़ा या

[श्री मधु लिमये]

7-50 रुपये के गारमेंट्स निर्यात करने होंगे, और उन का जुर्माना माफ हो जायेगा। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के रिलेक्सेशन से कंट्रोल्ड कपड़े के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्ड कपड़े के बारें में सरकार की जो नीति है, वह महज मखोल और फ़ार्स बन गई है। टैक्सटाइल कमीश्नर और व्यापार मंत्रालय के अधिकारी दोनों मिलकर मिल वालों से बहुत पैसे ले रहे हैं और राजपुरुष भी ले रहे हैं। इस लिये उनके द्वारा जो जन-विरोधी काम हो रहे हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो सरकार नियंत्रित कपड़ें की पैदावार कम से कम 30-35 प्रतिशत तक बढ़ा दे, निर्यात के लिये यह ढ़ील नहीं होनी चाहिये और वह सभी मिलों से कहे कि वे अपना कोटा महावार या कम से कम क्वार्टर्ली बेसीस पर पूरा करें, एसटीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे दस ग्यारह महीने तक अपना कोटा पूरा नहीं करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बाजार में कंट्रोल्ड कपड़ा कम हो जाता है और उस के दाम बढ़ने लगते हैं और सरकार कंट्रोल्ड कपड़े की स्टेडी सप्लाई चाहती है, तो यह आवश्यक है कि मिलों की यह जिम्मेदारी हो कि वे हर महीने कंट्रोल्ड कपड़े का निर्धारित कोटा पूरा करें कम से कम त्रैमासिक बेसिस पर यह होना चाहिये।

नियंत्रित कपड़े के वितरण में बड़े घोटालें हैं। एस्टीमेट्स कमेटी के सामने सरकार ने यह कबूल किया है कि वह होलसेलर्ज या नैशनल को-ओपरेटिव फेडरेशन या दूसरी को-ओपरेटिव सोसाइटियों को वितरण के लिये जो कपड़ा देती है उस के बारे में बड़ी शिकायतें हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि अनाज और चीनी के लिये जो वर्तमान पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उस को सरकार चुस्त बनाये और उस में जो भंयकर भ्रष्टाचार है, उस को निकाला जाये। राशन कार्डों पर कंट्रोल्ड कपड़े का वितरण ग़रीब लोगों में ठीक ढ़ंग से होता है या नहीं, सरकार नागरिक समितियां, सिटिजन कमेटीज बना कर उसकी देखभाल करने का प्रयास करे।

इस बारे में एक और सुझाव यह आया था कि कंट्रोल्ड कपडे के हर मीटर पर स्टैम्प लगनी चाहिये। आज यह होता है कि कपड़े के तागों के शुरू और अंत में प्राइस स्टैम्प लगती है लेकिन जब पहला मीटर बिक गया तो गरीब लोगो को पता ही नहीं चलता है कि कपड़े का क्या दाम है। मुझे याद है कि तीसरी लोक सभा में डा० राम मनोहर लोहिया ने इस तरह के बिल्ज भी यहां पेश किये थे कि आदिवासी इलाकों और हरिजन बस्तियों में जो दुकानें हैं, उनके द्वारा किस तरह की लूट होती है। साधारण आदमियों को अनियंत्रित कपड़े के दामों पर ही यह कपड़ा बेचा जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर मीटर पर प्राइस स्टैम्प लगनी चाहिये और वह जनता की भाषा में होनी चाहिये। तमिलनाडु में वहां के अंकों में होनी चाहिये और हिन्दी भाषी इलाकों में हिन्दी अंकों में होनी चाहिये।

इस विधेयक में मुआवज़े के लिये जो प्रावधान रखे गये हैं उनके बारें में कुछ विचित्र किस्म की बात है। मैं एक मिल का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल दो

उदाहरण देना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में वारंगल की आदमजाही मिल का 100 रुपये का शेयर उस के मिसमैनेजमेंट के कारण गिरते गिरते माइन से 190 रुपये हो गया, जो स्टाक एक्सचेंज में कोट किया गया मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उस मिल को जो 93 लाख रुपये का मुआवजा देने जा रही है, वह किस आधार पर और उस की क्या व्यापारिक कसौटियां हैं।

दूसरी मिल है एपोलो मिल, जिस को 1,20,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। यह गोकुलचन्द मोरारकाज की मिल है। और गोकुलचन्द मोरारकाज कितने दूध के धोये हुये है, उस के बारे मे कुछ कह कर मैं अपना समय क्यों बिगाड़ूं। इसको मैं दामानी साहब पर ही छोड़ देता हूं। ऐसे मामलों मे उन को ही बोलना चाहिये। सब तरह के फ्राड्ज, चार सौ बीसी और गन्दे काम गोकुलचन्द मोरारकाज ने किये है। लेकिन सरकार फिर भी बड़ी दयालु है, जो उन को 1,20,00,000 रुपये का मुआवजा दे रही है।

अब मैं एक बुनियादी बात पर आता हूं। ये टैक्सटाइल मिलें पहले प्राईवेट मैनेजमेंट के अन्तर्गत थी फिर सरकार ने उन को अपने हाथ में ले लिया और अब उन का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। उन मिलों मे काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को खंडित किया जा रहा था। मैं श्री बुद्धिप्रिय मौर्य का अभिनन्दन करता हूं और उन की सराहना करता हूं कि उन्होंने अपनी तरमीमों के द्वारा उन लोगों की कान्टीन्युइटी आफ़ सर्विस को बने रहने दिया है यह बहुत ही अच्छी बात है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव): आप बड़ी मुश्किल से सराहना करते हैं।

श्री मधु लिमये: आप मुश्किल से अच्छे काम करते हैं।

टैक्सटाइल इंडस्ट्री की कन्डीशन्ज आफ़ वर्क कैसी होती हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कल बम्बई के दवाओं के कारखाने क्लिनिकली शुद्ध होते हैं। और ऐसे लगता है कि वे बागीचे हैं। ऐसी कन्डीशन्ज टैक्सटाइल इंडस्ट्री मे नहीं होती हैं। वहां मजदूरों ने अपना पसीना बहाया है और खून बहाया है। उन में से कई लोगों को टी० बी० हो गया है। उन लोगों ने मेहनत कर के जो ग्रैचुइटी और प्राविडेंट फण्ड कमाया है, इस विधेयक के शिड्यूल मे चार्जिज की सूची में उस को कितनी लो प्रायर्टी दी गई है। इस में दल-विशेष का सवाल नही है। मैं केवल विरोध पक्ष के सदस्यों से ही नही, बल्कि उधर के सदस्यों मे भी—इन्दौर के श्री रामसिंह भाई बैठे हुए हैं, जो टैक्सटाइल मजदूरों के बड़े नेता है—अपील करना चाहता हूं कि वे इस बारे मे हमारी मदद करे। मैं चाहता हूं कि सब से पहला चार्ज मजदूरो का प्राविडेंट फण्ड, ग्रैचुइटी और उन के दूसरे ड्यूज होने चाहिए।

श्री राम सहाय पांडे: शुरू से ही।

श्री मधु लिमये: मैंने प्री-टेक ओवर का एमेण्डमेंट किया है। सिक्युर्ड लोन्ज वगैरह बाद मे आते है। मजदूरों के पसीने से पैदावार और सम्पत्ति उत्पन्न होती है। इस के लिए कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ने की जरूरत नही है। मैं प्राथमिक सत्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस को प्राथमिकता दे।

[श्री मधुलिमये]

मैंने जिसे टैक्सटाइल नीति की ओर इशारा किया है, मैं चाहूंगा कि उसको कार्यान्वित करने के लिये नैशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन और राष्ट्रीयकृत मिलें एक नजीर पेश करें। कैसे कन्ट्रोल्ड क्लाथ के उत्पादन के बारे में अगर दूसरे लोग चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, डिफाल्ट करते हैं, तो नैशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सारा घाटे का ही सौदा होगा, तो राष्ट्रीकृत मिलें हमेशा घाटे में रहेंगी, और बदनाम भी हो जायेंगी कि उनमें हमेशा घाटा होता है। इसलिये जहां कंट्रोल कपड़े के उत्पादन को 30 प्रतिशत बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूं, मैं इसकी भी मांग करूंगा मैं समर्थन करूंगा कि रीजनेबल प्राइस कंट्रोल क्लाथ का होना चाहिये वरना आप का नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन चल नहीं पायेगा। यह मैं मानता हूं।

और मैं एक बात यह कहूंगा कि आप की जो स्पिनिंग मिल्स हैं, कम्पोजिट मिल्स की बात मैं नहीं कह रहा हूं, इनका एक विशेष दायित्व होगा कि हैंडलूम और पावर लूम के लिये जिस काउन्ट का सूत चाहिए वह उन को दें। ये प्राइवेट सैक्टर की मिलें बड़ी बदमाशी करती हैं, दो तीन साल पहले इतना कम हैंडलूम और पावर लूम वालों को इन्होंने दिया, मेरे क्षेत्र में हैंडलूम और पावर लूम वाले लोग हैं, लोग तंग आ गये, सूत का दाम बढ़ाया गया, आनाकानी किया गया, इसलिये मेरा सुझाव है कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की स्पिनिंग मिल्स को हैंडलूम और पावर लूम वालों को उचित काउन्ट के सूत की स्टेडी सप्लाई करने का जो बड़ा काम, बड़ा दायित्व है उसको लेना चाहिए और निजी मिलों के ऊपर भी उसी तरह का एक नियंत्रण लगाना चाहिए। ...(व्यवधान)...मैं यही कह रहा हूं। जब यहां नहीं करेंगे तो प्राइवेट सैक्टर को मौका मिल जायेगा कि बुद्धिप्रिय मौर्य का कोरपोरेशन ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? तो आप करिये और प्राइवेट सैक्टर से भी करवाइये।

श्री राम सहाय पांडे : नवीकरण भी करिये।

श्री मधु लिमये : मैं उस पर भी आ रहा हूं। मेरा दूसरा मुद्दा तो यही था—आधुनिकीकरण और नवीकरण के बारे में और उसके बारे में मैं बहुत चिन्तित हूं क्योंकि एक विशेषज्ञों की कमेटी ने कहा था कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिये 1250 करोड़ की आवश्यकता है। उसमें नैशनलाइज्ड मिलों का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वह कम से कम 250 करोड़ आता है, 250 करोड़ आप को खर्च करना पड़ेगा। तो जो मिलें अच्छा निर्यात का काम कर रही हैं प्राइवेट सैक्टर में उनको आप वरीयता देंगे तो बात समझ में आयगी लेकिन सबसे पहले नवीकरण और आधुनिकीकरण की प्रायोरिटी आप को नैशनलाइज्ड मिलों को देनी चाहिए। उसके लिये आपने कुल कितना प्रोवाइड किया है? आप ने 108 करोड़ की व्यवस्था की है। वह भी होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आवश्यकता है 250 करोड़

की और 108 करोड़ भी नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा उसके बारे में अभी से आप लोग सोचें। पचास प्रतिशत सिर्फ जो आपने किया वह उचित नहीं है।

टैक्सटाइल इंडस्ट्री में आज की राष्ट्रीयकृत मिलों को आधुनिकीकरण, कपड़े की पैदावार बढ़ाना, उत्पादन का खर्चा घटाना, बिक्री के दामों को गिराना, इन सब के बारे में पेस-मेटर का काम करना चाहिए और फिर नीजी क्षेत्र में भी इसी तरह का दबाव डाल कर उनसे भी इसी तरह का काम आप को कराना चाहिए। अभी-अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात जो थी क्या सरकार इस बात के लिये बहुत जल्दी प्रयास करेगी कि विगत दो तीन वर्षों में बहुत ही अन-रीजनबल ढंग से कपड़े का दाम बढ़ाया गया तो मेरी राय में कम से कम 25 से 30 प्रतिशत तो सभी वैराइटीज के कपड़े का दाम आप घटाने के लिये कहिये। आज मिलों ने कई बहाने बना कर अपना उत्पादन घटाने का काम चलाया है। इसका नतीजा क्या होगा कि आज तो मांग कम हो गई। क्यों हो गई कम? एक तो बहुत सारे लोग फ्लड अफेक्टेड, फेमिन अफेक्टेड हैं, अकाल और सुखमरी आदि के चलते लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। इसलिये हल्ला हो रहा है। इसलिये दाम घटाना बहुत जरूरी है। . . . (व्यवधान) . . .

क्रेडिट की जहां तक बात है मैं भी मानता हूं कि क्रेडिट पालिसी सलेक्टिव होनी चाहिए, अन्धी नहीं होनी चाहिए। इनकी क्रेडिट पालिसी अन्धी पालिसी है। स्पेकुलेटर्स के लिये भी, होडर्स के लिये भी एक ही कानून है और जो उत्पादन के काम में लगे हुये हैं उनके लिये भी एक ही कानून है। तो यह मामला इंडस्ट्री मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ लेना चाहिए। यह क्रेडिट पालिसी अन्धी न हो, उत्पादन उन्मुख हो। और उत्पादन भी रैफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और टेली-विजन आदि का न हो कर जो कन्ज्यूमर गुडस है, या कैपिटल गुडस हैं उनका हो। तो यह भी एक इसका पहलू है।

अब नैशनल काटन कारपोरेशन का जो काटन ग्रोअर्स है, किसान हैं जो रूई पैदा करते हैं, उनके प्रति कोई दायित्व होगा नहीं? भौर्य जी को पता होगा कि सितम्बर, 1974 से नवम्बर, 1974 तक दो तीन महीनों के अन्दर काटन कारपोरेशन की गलती और अयोग्यता के चलते, व्यापार मंत्रालय की नालायकी के चलते किसानों के साथ भयंकर अन्याय हुआ है। पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इलाके सारे कपास के इलाके हैं। किसान मर रहा है जूट की कहानी अभी ज्योतिर्मय बसु ने बताई। लेकिन जनता से सीधा जो सम्पर्क रखता है वह तो कपड़े का सवाल है। इसलिये काटन के बारे में आप को ज्यादा सचेत रहना चाहिये। मैं केवल तीन आंकड़े दूंगा। कल्याण जाति का जो काटन है इसका दाम सितम्बर में 4200 रुपये प्रति कैंडी था और नवम्बर में 2500 रु० प्रति कैंडी हो गया। इतनी गिरावट आ गई। इसी तरह विन्धियम रुई जो है उसका 4600 रुपये था सितम्बर में और नवम्बर में 3150 रुपये हो गया। इसी तरह शंकर 4 जो वैराइटी है उसका दाम था 5900 रुपये सितम्बर में और नवम्बर में

[श्री मधु लिमये]

करीब करीब 4200 रुपये प्रति कैदी हो गया । इसलिये मैं यह कहूंगा कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को भी अब मैदान में उतरना चाहिए । बैंकों को उनको क्रेडिट देनी चाहिए । काटन कारपोरेशन अगर नालायक है तो आप को भी अयोग्यता का प्रमाण नहीं देना चाहिए । कुछ किसानों के प्रति भी आप का अपना जो दायित्व है उसको आप पूरा किजिये । दूसरे मामलों में भी पूरा किजिये ।

अन्तिम बात मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे है तो इसके संचालन के जो तरीके है उनमें भी आप को कुछ परिवर्तन करना चाहिए । 27 साल का अनुभव है कि जो भी राष्ट्रीयकृत कारपोरेशनस होते हैं उनमें जो अधिकारी होते है वे सोचते है कि यह अपने आप की जायदाद है तो एय्याशी के ऊपर, फिजूलखर्ची के ऊपर और विलासिता के ऊपर पैसा बहुत सारा खर्च किया जाता है । मजदूरों के वेतन और बड़े लोगों के वेतन और सुविधाओं को आप मिलाइये, इतना बड़ा फर्क आप देखेंगे तो यह समाजवाद का बात भी लेना और इतनी विषमता और गैर-बराबरी को बढ़ाते जाना, बर्बादी को बढ़ाते जाना यह एक बहुत बड़ा पाप है जो आप लोग कर रहे हैं ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो उपभोक्ता है और श्रम करने वाले जो मजदूर हैं क्या इन मिलों के संचालन में इन को भी कोई हिस्सेदारी आप देंगे ? आप के बिल में कोई चीज है इसके बारे में ? इसलिये इतना बड़ा, यानी 22 प्रतिशत टैक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहें है, उसमें तकरीबन 22 या 20 प्रतिशत मजदूर काम करते है कुल टैक्सटाइल इंडस्ट्री के, फिर भी आप ने उनके लिये कोई प्रावधान नही रखा । तो आप के जो मैनेजमेंट के आज तक के तरीके रहे है उनमें आप कुछ बुनियादी परिवर्तन कीजिये, नये प्रयोग कीजिये । युगोस्लाविया में वर्कर्स मैनेजमेंट की बात चल रही है, दूसरे देशों में भी विभिन्न प्रयोग किये जा रहें है ।

श्री राम सहाय पांडे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ।

श्री मधु लिमये : वही तो मैं कह रहा हू । उसके बारे मे मैं कोई डाग्मेटिक नही हूं कि इसी एक फार्म को ले लीजिये । लेकिन आप को यह प्रयोग करना चाहिए ।

रीजनल बोर्ड की बात मैंने इसलिये की कि थोड़ा एक कम्पीटीशन का भी एलीमेंट जरूर होना चाहिए जिससे कि विभिन्न रीजनल बोर्डस मे यह होड लगे कि कौन बढिया ढंग मे काम कर रहा है ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं संकल्प को औपचारिक ढंग मे पेश कर रहा हू.''यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रुग्न कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है ।''

MR. DEPUTY-SPEAKER : Resolution moved :

"This House disapproves of the Sick Textile undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 (Ordinance

No. 12 of 1974) promulgated by the President on the 21st September, 1974."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA) : The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill was introduced in the Lok Sabha on the 2nd September, 1974. The hon. member, Shri Limaye raised an objection that in principle he is against the Ordinance.

I would like to reply to this first and then come to other relevant points he raised.

16.30hrs. [SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Before proceeding further, I would mention in the very beginning that barring the bitterness which the hon. member has got for the Nehru family and its members—I am not going to involve myself in replying that bitterness because whatever bitterness he has shown, that is his personal feeling—regarding rest of the things he has given very sound proposals which will help not only the workers and the industry but also the entire nation. Some of the points he made are already being agreed upon and I would like to mention them during the course of my observations.

Regarding the Ordinance, hon. members are aware that the load of government business awaiting disposal was heavy. The House was considering the Finance Bill introduced in connection with the supplementary budget. The Bill had to be passed so that the relevant provisions could be brought into effect. The import licence case which was not earlier on the agenda became an explosive issue and took up a good deal of time. The Constitution (Thirty Sixth Amendment) Bill relating to Sikkim was also brought up for consideration. Under these circumstances, the Business Advisory Committee of the House could not allot any time for discussion of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill before the House was prorogued on 9 September, 1974.

As inevitably there was to be a gap of about three moths between the introduction of the Bill in the last session and its consideration in the present one for reasons discussed below, it was considered necessary to promulgate the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance on 21 Sept. 1974 Firstly, there were 6 textile undertakings the management of which could not be taken over by Government on account of stay orders passed by courts. The possibility of transfer of assets by the owners of these undertakings could not be ruled out. It was necessary to take over the possession of these mills to obviate such a possibility. Secondly, the owners of these sick undertakings knowing the provisions of the Bill could enter into contracts which would be detrimental to the interest of the undertakings. Thirdly, since the liabilities pertaining to the takeover of the management were not being assumed by the Central Government but were to be paid out of the amounts provided under the First Schedule on the basis of claims to be filed before the Commissioner of Payments, certain creditors had begun to pressuries the managements to discharge these liabilities before the actual nationalisation of the undertakings. In these circumstances, in case the managements succumbed to such pressures, considerable losses could have been caused to the undertakings and the intention of laying down the order of priorities under the Second Schedule for discharge of claims would have been defeated.

At this stage, I may also be permitted to mention that in similar circumstances in the past also it had become necessary for Government to issue Ordinances after introduction of the relevant Bills which could not be enacted into law in time.

I am sure hon. members would appreciate the weighty considerations which impelled Government to promulgate the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 on 21 September, 1974 when the relevant Bill could not be taken up for consideration in the last session of Parliament. The Sick Textile Undertaking

[Shri B. P. Maurya]

(Nationalisation) Bill 1974 now seeks to replace the Ordinance which has been promulgated.

I would appreciate the feeling of Shri Madhu Limaye who had high appreciation for the step, the Government took of nationalisation. He has said somethings which are already being followed by Government. He said during his speech that 25-30 per cent of the prices should be pulled down. This is already the policy of the National Textile Corporation and it will be implemented in due course.

He has also given valuable suggestions about other things, but he himself has suggested in his speech that the textile industry is controlled by two Ministeries, and the hon. Member took objection to it. One part of it is controlled by the Ministry of Commerce and Foreign Trade and the other part is managed by the Minisrty of Industry. I would like to mention that most of the portion contained in his speech are concerned with the Commerce Ministry. So, I would not like to take the time of the hon. House in replying to those questions because they are mainly concerned with the Commerce Ministry.

Before I move for consideration, I would like to draw the attention of the hon. Members to certain salient features of this Bill. Under clauses 3, 4 and 5, the right, title and interest of the owners stand transferred to and vest in the Central Government free of all encumbrances. We are moving amendments to sub-clause (1) of clause 4 and clause 5 of the Bill to make it clear that besides the assets acquired, certain liabilities, viz.. loans advanced by the Central Government or State Governments or by the National Textile Corporation/State Textile Corporations, and wages, salaries and other dues of employees relating to the post-take over of management period shall be the liabilities of the Central Government and the said liabilities will be discharged for and on behalf of the Central Government by the National Textile Corporation. The provisions in Chapter III refer to payment of amount to the owners of the sick textile undertakings for the transfer to and vesting in the Central Government of the right, title and interest of the owner in relation to the sick textile undertaking.

Chapter IV refers to the management of the sick textile undertakings through the National Textile Corporation which is empowered to exercise powers in this behalf. It may be stated that clause 6 empowers the National Textile Corporation to set up subsidiary corporations. Chapter V contains provisions relating to employees of the undertakings. Clause 14 clarifies that all employees of the undertakings shall become employees of the National Textile Corporation on and from the appointed day and continue to draw the same emoluments and have similar rights as they were enjoying previously. Chapter VI deals with the appointent of Commissioners of Payment and the procedure for making payments. Under clause 18, the Central Government has to pay to the Commissioners within 30 days from the specified date the amount indicated in the First Schedule. Under clause 20, every person having a claim against the owner of a sick textile undertaking has to prefer the claim before the Commissioner. The priorities of the claim have been indicated in clause 21, which is to be read with the Second Schedule.

In this Bill, a clear distiction has been made between liabilities of the undertakings for the post-take over if management period and those pertaining to the pre-take over of management period. It was considered necessary has priority should be accorded to liabilities incurred during the period. The management of the undertakings remained with the Central Government since the Government had with the loans and other credits obtained. made investments or modernisation and

rehabilitation of the mills. It was necessary to ensure that the creditors placed in Category I of the Second Shedule who had helped the Government during this period to undertake such rehabilitation and modernisation of mills should have their liabilities fully protected. Therefore, it has been provided under clause 27 that where any liability arising out of any item specified in Category I of the Second Schedule is not discharged fully by the Commissioner out of the amount, the Central Government shall assume the liability to the extent it remains undischarged.

In the case of liabilities pertaining to the pre-take over of management period, these have been placed under Categories III, IV and V of the Second Schedule. The creditors concerned will have to file claims before the Commissioners of Payment for settlement of these liabilities out of the amount paid to the owners under the First Schedule. Under Clause 24, the procedure for payments to claimants and under Clause 25 to the owners of the balance left over after meeting the liabilities as specified in the Second Schedule has been laid down.

Chapter VII deals with miscellaneous provisions. It is pertinent to state that the interest of employees of the mills have always been kept in view by the Government. For the post take over of management period, all employees' dues are being fully protected and they are not required to file any claims for satisfaction of these dues before the Commissioners of Payment.

In regard to the pre-take over of management period also, the employees' dues have been given a priority only next to the secured creditors. It may also be clarified that in respect of employees whose services are transferred to the NTC or its subsidiaries after nationalisation, the entire period of their service will be taken into account for determination of amount of gratuity and pension payable to them.

The future management pattern of these textile undertakings has been worked out keeping in view the requirement of efficient and co-ordinated management on a uniform pattern throughout the country.

One point was raised by an hon. Member. The State Governments have been given the option to participate in the equity to the extent of 49%. The management will be looked after by the National Textile Corporation. Under the National Textile Corporation there will be 9 subsidiary corporations. In these subsidiary corporations the States will have the right to purchase shares up to 49%. 51% will be the share of the Centre.

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North East) : What will be the right of State in the management.

SHRI B. P. MAURYA : I should like to go into details when we take up clause by clause consideration. This has been done in order to avoid heterogenous organisations and to have one uniform pattern so that the workers could get their dues and the consumers also could get cloth at a fair price. Keeping these factors in mind this decision has been taken so that there can be one uniform pattern of management. No doubt that will be helped by the 9 subsidiary corporations. The States will be given their shares so that the will not lose interest. When the Chairman-cum-Managing Directors are appointed they will definitely be appointed in consultation with the States Governments. When we come to clause by clause discussion we can discuss the detail. At this stage my submission to the hon. Member is that the idea is to organise this industry in such a way that we produce the maximum and we produce such articles which are used for domestic consumption. When we produce articles which are to be used for foreign market, in that case also a uniform system will definitely help.

It is worth mentioning that during the period the sick textile mills have been managed by the Government, they have shown good working results in terms

[Shri B. P. Maurya]

wiping out past accumulated losses. As per provisional figures available the 96 mills under the management of the Government have generated a net profit of Rs. 9 crores during April-August, 1974. National Textile Corporation has also undertaken a comprehensive programme of modernisation and rehabilitation of these sick textile mills.

Before I conclude I want to refer to the point raised by Shri Madhu Limaye, the price policy has been their main slogan in their political working. We agree that there should be a price policy whereby the NTC could provide good quality cloth to the consumer at the lowest possible price, and it will be the endeavour of the NTC to lower down the prices by 25 to 30%. He referred to priority being given to the wages of the workers and we shall discuss that in details when we come to the clauses.

With these words I beg to move :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the owners in respect of the sick textile undertakings specified in the First Schedule with a view to re-organising and rehabilitating such sick textile underaking, so as to subserve the interests of the general public by the augmentation of the production and distribution, at fair prices, of different varieties of cloth and yarn, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the owners in respect of the sick textile undertakings specified in the First Schedule with a view to re-organising and rehabilitating such sick textile undertakings so as to subserve the interests of the general public by the augmentation of the production and distribution, at fair prices, of different varities of cloth and yarn, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Mr. Chairman, this Bill has been brought forward to nationalise the sick textile mills. I want to point out that merely by taking over or nationalising the sick textile mills, the problem of the textile industry or the problem of supply of cloth in adequate quantities to the people at reasonable prices will not be solved.

The textile industry, as we all know, is one of the largest industries in our country. How is it that 103 mills, which account for 20 to 25 per cent of the total mills, have become sick so that they have to be taken over by the National Textile Corporation ? When the enquiry was conducted by the Government under the Industries (Development and Regulation) Act, how many of these mills were found to be sick because of corruption and mismanagement by the owners and in how many cases action was taken against the management for corruption and mishandling of the money of the shareholders or depriving the work ers and employees of their dues by way of wages, provident fund contribution etc. As far as my knowledge goes, not even in one case has any action been taken against any single mill-owner of these sick mills. This Nationalisation Bill is nothing but a rescue operation of the owners for their nefarious activities of defalcating funds. They will be resurrected by the Government, by first taking over and then by nationalisation. They are going to get about Rs. 40 crores as compensation as per the Bill. Even after take-over more than Rs. 67 crores were given as loans by the Government and other financial institutions.

How are they going to take back those amounts ? I do not find anything in the Bill that any such measure is going to be taken

As regards the basis of compensation, I have seen how it is amusing to note that even Rs. 1000 will be given as a token compensation but, just now, the hon. Minister, while replying to Shri Madhu Limaye, said that post-take-over dues will be paid to the workers, if there are any. My question is : What will you do about pre-take-over dues ? You have said that you will pay gratuity to workers in full. What about the provident fund money ? What about their earned wages ? What about their leave wages ? Have you ever taken care to go through the matter as to what are the dues of the workers for the pre-take-over period ? I know, in many cases, the workers who worked, who spent their whole life there, are not getting their provident fund money even after two or three years of the taking over of the mill by the Government.

What is the provision here ? You have given priority to the secured loans which means bank loans. You have given no priority to the dues of the workers. That should be the first charge. Whatever amount may be available, the dues of the workers should be the first charge. You have not said in part B of the Second Schedule that the dues of the workers will be the first charge. You have put it in the fourth category, wages, salaries and other dues to an employee, then, revenue taxes, etc. etc. In the third category, you have put "secured loans" which mea s liquid money that was taken from some financial institutions by the management.

Why not you put the dues of the workers in the first category ? That should be the first charge.

There are so many cases, hundreds of workers, where the workers did not get their earned wages; they did not get their leave wages and other dues. You say that you have taken care of the cause of workers. I say, you are giving hoax and bluff.

Then, you have mentioned about modernisation and rationalisation. What does modernisation and rationalisation mean You will spend lakhs of rupees on importing machinery from outside. What for I know, in many cases, ordinarily 3 or 4 looms are run by one worker. In the name of modernisation, the machines would be imported so that even to the extent of 25 to 27 looms would be run by one single worker. So, by modernisation and rationalisation, you would reduce the complement of workers in a particular factory or mill. I have given an amendment that in no case, in the name of modernisation, in the name of rationalisation, in the name of making improvement in the factory, you will take any step so that any worker may ose his job. Some years back when this question of rationalisation came in Bombay, the textile workers fought against it. You can see what was the number of workers 15 years back. You go through the statistics and you will find that it has come to half. So, in the name of modernisation and rationalisation, if you dispense with the service of a large number of workers, what is the good of it ?

Then, you say that you are takingit over to supply to the consumers, cloth at a fair price. What is the fair price, I do no know. Mr. Madhu Limaye has spoken enough and given certain figures. I do not want to go into the details. It is also a hollow slogan like "Garibi Hatao."

So far as the functioning of the National Textile Corporation is concerned, we know how much corruption is prevalent ther Two years back one Mr. Tripathi who was the Chairman had to resign because of nepotism and corruption. What is the guarantee that the National Textile Corporation will function properly and there will be no corruption and that the money that will be spent for these mills will be properly utilised for maintenance, etc. ?

Coming to the cost, I may say that no provision has been made here to see that a certain percentage of production is done or allocated only for production of standard cloth which can be sold at fair price to

[Shri Dinen Bhattacharya]

the poor consumers. Uptill now in these mills that have been taken over by the Government—in some cases by the State Governments and in many cases by the Central Government—in how many cases did you produce the cloth which you sold at fair price ? I know. I have personal experience. I have gone to some mills and seen it. Only in a very few cases, just for a show to the public, they open retail shops wherefrom people are supposed to get the cloth at fair price. But how man persons get it ? It is only a show. So my point is that the production should be regulated in such a way that the maximum is produced for the ordinary consumers at fair price. The rich people can manage themselves from the smugglers and other sources. But the ordinary people, the poor people the poor peasants, cannot get it. So, a guarantteed production of standard cloth to be sold at a fair price, must be made by the Government.....

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur) : Do you want smuggling to be allowed ? you say that the rich people may get from the smugglers.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Smuggling will continue and you will get your fine cloth from them. Only you have to take the trouble of going to Bombay or Gujarat—the sea-coast-and you will get it.

Enough has been said how the consumption figure has come down from 15 to 16 metres three or four years back to 11 to 12 metres per head now at the present moment. There has been abnormal increase in the cost of the cloth. The idea which you have given is very good—to arrange for the production in such a way that you may sell the clothes at fair prices and so on. But what is required is, you have got to implement it. That is the main thing. A guarantee has to be made here in this regard that a certain percentage of clothes should be given to the ordinary people, to the poor people, to the common people at a reasonably low price. That is our demand, Sir.

17 hrs.

Then I would respectfully submit this: Do not allow the big sharks, the big industrialists and the big monopolists to exploit our scarce foreign exchange resources. That is my main point. They do all these things for importing machiney and chemicals and other things. They use these scarce foreign exchange for the purpose of getting machinery from abroad, getting chemicals from abroad and not even 50 per cent of the foreign exchange spent are being earned. That is to say, we are losing this foreign exchange which is very scarce. We have got to stop all these things. This is my submission.

You have taken over certain spinning mills They should produce yarn for the handloom sector, for the handloom weavers. Another point I want to mention is that the textile owners are now saying that they will bring down the prices and so on. But is also worth noting that the Government self increased the prices to 30 or 35 per cent, but now the mill owners are announcing to reduce the price of cloth from 10% to 40%. This is a joke, or anything else ? Nobody has any reliance on your big promise that you will arrange distribution of the cloth at fair price and so on. So my point is this. You have to bring a check on these exorbitant profits that these textile magnates are reaping. You have to see that the textile industry as a whole is taken over and nationalised. Otherwise this problem will not be solved. The problem will be there and will be accentuated. At their very sweet will they will bring cloth to the market and prices will be controlled by them and as Mr. Madhu Limaye has said, they will dictate the terms for the price of cotton and they will dictate the terms what will be the price of finished goods in the textile mills.

So, you have to take such steps and such measures as are very necessary to see that these textile monopolists do not get further chance to exploit our people.

Before concluding I again want to repeat about corruption in the National Textile Corporation. There was corruption in these mills and these mills were sick. Now, you are handing over or giving the charge of these mills to the National Textile Corporation which is full of corruption. No report has yet been placed as to the functioning of this Corporation. Only from some sources we have learnt there is a serious type of corruption and the Government must try to put an end to this corruption.

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) सभापति महोदय, मैं इस बिल की धारा 5 का सख्त विरोध करते हुए इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

प्रमुख बात तो यह है कि जब शासन किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जाता है, तो उस में श्रमिकों के अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना श्रमिकों के सहयोग के राष्ट्रीयकरण सफल नहीं हो सकता क्योंकि श्रमिक ही ऐसी शक्ति जमात है, जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, बाकी लोग नहीं है। इस बिल से पहले मैंने मंत्री महोदय से श्रमिकों की ग्रेचुइटी, प्राविडेंट फंड और उन को जो दूसरी रकम निकलती है, उस के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने सहमति प्रकट की थी। वह भी एक श्रमिक खानदान में से है और श्रमिक के प्रति उन की सहानुभूति है। लेकिन मंत्री महोदय की स्पीच में वह बात नहीं आई, जिस की बात हुई थी और हम आशा रखते थे।

मंत्री महोदय को शायद पता नहीं होगा कि इस सदन में मजदूरों के हित के इतने सुन्दर कानून बने हैं, जो दुनिया के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलते हैं। इस सदन और इस सरकार ने हर बात में श्रमिकों की बड़ी सहायता की है और उन को आगे बढ़ाने में भी बड़ी पहल की है। मैं सोलह बरस की उम्र से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इस गवर्नमेंट से अधिक श्रमिक हितैषी गवर्नमेंट मैं ने कोई नहीं देखी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक की धारा 5 जैसी श्रमिक विरोधी धारा भी मैं ने अपने जीवन में नहीं देखी है। श्रमिकों के हितों के ऊपर यह एक जबर्दस्त कुठाराघात है।

अभी थोड़े दिन पहले कोलमाइन्ज का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन कोलमाइन्ज के श्रमिकों के लगभग 11 करोड़ रुपये प्राविडेंट फंड के बकाया में, जो कोलमाइन्ज के मालिकों से नहीं भरे थे। लेकिन सरकार जब राष्ट्रीयकरण का बिल लाई, उस में उस ने पिछली ग्रेचुइटी, पिछले प्राविडेंट फंड, लीव विद वेज, पेन्शन और बोनस आदि के सम्बन्ध में जो भी बकाया रकम उन मालिकों के द्वारा जमा नहीं कराई गई, वह सब मन्जूर की और सब दे रही है।

इसी प्रकार सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उस के बाद बैंक कर्मचारियों को एक पिछले इयूज बराबर मिल रहे हैं। मैं नम्रता के साथ यह पूछना चाहता हूं कि इन टैक्सटाइल वर्कर्ज ने, जो कुल वर्कर्ज का एक चौथाई भाग है, इन 1 लाख 65 हजार परिवारों ने क्या पाप किया है और सरकार से क्या दुश्मनी की है, जो वह 1 अप्रैल, 1974 से पहले के सब इयूज उन में छीन रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी ईमानदार मजदूर कार्यकर्ता इस धारा का समर्थन नहीं करेगा। हम ने मजदूर आन्दोलन एक धर्म के तौर पर स्वीकार किया है एक

[श्री राम सिंह भाई]

पेशे या एक लीडरी के तौर पर नहीं । हम ने गाधीजी के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि सब से पहले हमारा राष्ट्र है और हिन्दू धर्म मे जो गौ का दर्जा है, उस के समान हम उद्योग और मजदूरो की रक्षा करेगे ?

राष्ट्र हित के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है । हम मजदूरो को यह कहने के लिए भी तैयार है कि ये राष्ट्रीयकृत मिले है इन मे आप ईमानदारी और मेहनत से काम करिए और ऐसा वे कर रहे है । मेरे यहा के कन्ट्रोलर यह नही कह सकते कि मजदूर ऐसा नही कर रह है । 7 मिले हमारे प्रदेश मे है । अच्छे से अच्छा प्रोडेक्शन बढा है । अच्छी एफिशयेन्सी और डिसिप्लिन वगैरह है । लेकिन मुझे दुख यह है कि मजदूरो की पीछे की कमाई क्यो छीनी जा रही है ? एक मजदूर बुड्ढा हो गया है । स्टान्डिंग स्टेडिंग आर्डर मे यह भी डाल दिया है कि 58 वर्ष की उम्र होने पर श्रमिक को रिटायर कर दिया जाएगा । उस के रिटायरमेन्ट की उम्र हो गई है । वह जाता है । लेकिन उस का 20 वर्ष का प्राविडेंट फंड जो जमा है उस से स एक पाई उस को नही दी गई है और उस से कहत है कि वह तुम्हे नहीं मिलगा । ग्रेच्युटी का जो कानून बनाया है इस भवन ने उस कानून के अन्दर यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टेट सरकार द्वारा जो भी कारखाने चलाए जाते होगे, जहा भी कट्रोलर के द्वारा कारखाने चलते होगे उन सब मे श्रमिको को ग्रेच्युटी मिलेगी । यहा यह सब क्या है ? बहुत नाजुक स्थिति है और अगर इसी तरह इस धारा को आप पास कर रहे हैं तो मजदूरो का सहयोग आपको नही मिलने वाला है ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन यह राष्ट्रीयकरण अध्यादेश निकाला हिन्दुस्तान मे मिलो के अन्दर हडतालें हुई और हडताल होने के बाद नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया । वह सर्कुलर 8 तारीख को मिलो के बोर्ड पर लगाया गया और उस मे यह कहा गया कि भारत सरकार के एटार्नी जनरल ने अपनी राय दी है कि मजदूरो की ग्रेच्युटी और प्राविडेंट फंड की रकम मिलेगी और हम आप को देगे नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन देगा अध्यादेश लागू हो जाने के बाद नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की तरफ से उन मिलो के ऊपर यह नोटिस लगाए गए । मजदूर काम पर गए मेरे पास एटार्नी जनरल महोदय की सिफारिश है । उस मे उन्होने कहा है कि आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और यह उस के लिए अध्यादेश है लेकिन ग्रेच्युटी कानून के अनुसार तो आप को ग्रेच्युटी देनी पडेगी । ग्रेच्युटी देने का सवाल आज पैदा नही होता है । ग्रेच्युटी हर महीने नही दी जाती है हर साल नहीं दी जाती है । ग्रेच्युटी तो तब दी जाती जब मजदूर रिटायर होगा । वह उस वक्त फिर मालिक का बकता फिरेगा । उस मिल के सारे एसेट्स तो आप ले रहे है तो एसेट्स के साथ लायबिलिटी की भी आप की जवाबदारी है । दूसरी बात यह है कि आप ने जो भी कानून बना रखे है उन कानूनो के अनुसार कोई मजदूर ग्रेच्युटी के लिए बीच मे कोर्ट मे नही जा सकता । कोई मालिक अगर प्राविडेंट फंड की रकम जमा नही करा रहा है तो मजदूर कोर्ट मे जा कर दावा नही कर सकता, कि आप हमे प्राविडेंट फंड की रकम दिलवाइए । यह सारी जिम्मेदारी

और अधिकार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की है कि जो मालिक समय पर जमा नहीं कर रहे हैं उन की वसूली लैंड रेवेन्यू की तरह करें। सारी जिम्मेदारी तो कानून का पालन कराने की आप की है, राज्य सरकार की है।

इस सदन के अंदर हम ने बार बार कहा कि अमुक मिलें है जिन्होंने आप की 20 करोड़ से ज्यादा जो प्राविडेंट फंड की रकम है वह इन मिल मालिकों ने जमा नहीं कराई है और जब यह टेक ओवर का बिल आया तब भी मैंने कहा। मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इन्हें मुआवजा देंगे। उस में से सारा वसूल कर लेंगे। लेकिन यह जो मुआवजा दिया जा रहा है उस में से तो वह पूरा नहीं होता है ? अगर आप प्रथम प्रायरिटी में भी मजदूरों की रकम रखें तो भी नहीं होता है जो रखी भी नहीं गई है इस में हमारा कसूर क्या है ? मैं आप को जानकारी देना चाहता हूं कि प्राविडेंट फंड की जो रकम है कानून के अनुसार पांच वर्ष से कम की नौकरी हो या पांच वर्ष से कम का प्राविडेंट फंड जमा हो तो उन के ऊपर मिल मालिक का हिस्सा नहीं मिलेगा। पांच और दस के बीच हो तो 50 प्रतिशत मिलेगा ? 15 साल तक 80 प्रतिशत मिलेगा और 20 से कम पर 75 प्रतिशत 20 वर्ष की पूरी नौकरी हो जाए तो हीसेंट परसेंट उसे मिलेगा। 1952में प्राविडेंट फंड ऐक्ट लागू किया और 1971 में 20 वर्ष हो गए सारी रकम प्राविडेंट फंड की मिलों के हिस्से के साथ मजदूरों को लौटा दी जानी चाहिए थी। यह मांग हमने की भी। लेकिन वह लौटाई नहीं गई। आप ने उसे रखा तो वह जिम्मेदारी देने की आप की है।

इस के बाद मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, बड़े मजे की बात है, एक मिल है, उस मिल का मालिक उस मिल को बद-इन्तजामी से तबाह कर रहा है, बरबाद कर रहा है और वह 1949 में नोटिस लगाता है कि यह मिल मैं बन्द कर रहा हूं। मैं केन्द्रीय सरकार के पास आता हूं, श्रम मंत्री से मिलता हूं, वित्त मंत्री से मिलता हूं, उद्योग मंत्री से मिलता हूं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आखीर में केन्द्रीय सरकार के आदेश से एक त्रिदलीय समिति बनाई। उस की सिफारिश के अनुसार 1950 में इस मिल के 1200 मजदूरों की छंटनी एक साथ की गई बिना ग्रेच्युइटी के। उस हिसाब से प्रतिमास 1 लाख 8 हजार रुपए की वेतन बचत की जो प्रति साल 12 लाख 96 हजार रुपए हुई। उस के बाद भी इसका इतना बुरा हाल हुआ कि वह मिल ठिकाने नहीं पड़ी। 1957 में जब मैं यहां हाउस में आया उस वक्त 5 लाख 78 हजार रुपए प्राविडेंट फंड के उस में बाकी थे और लगभग 1 लाख रुपए ई एस आई की रकम बाकी है ? मैंने इस हाउस में निवेदन किया कि इस के लिए कुछ करना चाहिए। मिल चली जाएगी बन्द हो जाएगी। सरकार ने 1958 में एक कमेटी बनाई अरविंद नरोत्तम लाल भाई की। उन्होंने जांच की। वह जांच रिपोर्ट मेरे पास है उस के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया ? फिर 1959 में एक और कमेटी बनाई जिस के सदस्य पार्लियामेंट के मेम्बर सोमानी साहब थे। उस में भी कुछ नहीं हुआ। फिर 1960 में एक अरक-निया कमेटी बनाई उसी मिल के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1970 में मोदी कमेटी बनाई जब तक 16 लाख 55 हजार 992 रु० केवल प्राविडेंट फंड के उस बिल पर हो गए। 1971 के बाद 1972 में टेक ओवर करते हैं, उस समय 53 लाख से अधिक बकाया थे ? यह मामला 1950 से चल रहा है लेकिन टेक ओवर किया 1972 में। तो इस में मजदूरों का क्या दोष है ? अगर आप वसूली के मजदूरों को अधिकार दे दीजिए तो वे उस मिल मालिक को एक दिन में निकाल कर बाहर करेंगे। हम ने तो यह भी कहा कि आप हमें मिल दीजिए, मजदूर चलाने के लिए तैयार है। लेकिन मर्चन-मेंट चलाने देने के लिए तैयार नहीं थी ? किन्तु 1972 में जब इस का टेक ओवर किया उस समय 33 लाख 42 हजार 296 रुपए मजदूरों के प्राइडेंट फंड के बकाया थे। जब केन्द्रीय या

[श्री राम सिंह भाई]

राज्य लेबर मिनिस्टर जाते हैं मजदूर वसूली के लिए हड़ताल करते हैं, प्रोसेशन निकाल कर उन के पास ले जाते है और यह कहते है कि यह मिल मालिक प्राविडेंट फंड जमा नही करा रहा है, वह इस से वसूल किया जाए। यही नही आप ने टेक ओवर किया। उस के बाद भी क्या हालत है? एक स्वेदेशी मिल है। जिस रोज 1966 मे उस मिल को टेक ओवर किया उस रोज 8 लाख 16 हजार 910 रुपए उस पर बकाया थे। (व्यवधान) मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। अपनी पार्टी की तरफ से मै खास वक्ता हू। कोई ऐसी बात जो माननीय सदस्यो ने कही हो वह मैं नही कह रहा हू। और मैं यह मानता हू कि जो म कह रहा हू वह कोई और माननीय सदस्य कहने वाले भी नही हैं।

जब टेक ओवर किया तो 8 लाख 16 हजार तो प्रोविडेट फंड की रकम बकाया थी? आप 1966 से इस मिल को चला रहे हैं लेकिन 1973 का हिसाब मैं बताता हू 37 लाख 39 हजार 912 रुपए प्राविडेंट फंड के उस पर हैं और 15 लाख 36 हजार 400 रुपए ई एस आई के है। ये 53 लाख हो गए। जब टेक ओवर किया तब तो कुल 11 लाख थे और अब है 53 लाख तो प्राविडेंट फंड और इ० एस० आई० के और पाच वर्ष के बकाया बोनस के मिला कर हो गए 83 लाख। इस की जवाबदारी किसकी है? अगर उस के मालिक के समय के 8 लाख रुपया निकाल भी दिया जाए तो बाकी रुपया तो आप दीजिये आप उसका मुआवजा क्या देंगे एक हजार रुपया कुछ सदस्य कहते हैं कि उस को प्रथम प्रायेरिटी दी जाये, आप ने उस को एक हजार रुपया दे भी दिया तो जिस मील में 2600 मजदूर काम करते हैं, वहाँ एक एक रुपया भी मजदूर के हिस्से में नही आएगा—सरकार इसे देखना चाहिए।

यहा एक मील के बारे में और बतलाना चाहता हू —मैंने उस के बारे में इस सदन में बार बार कहा है कि और मंत्री जी को उस की बैलेंस शीट भी दी थी। माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी इस मामले में मेरा समर्थन किया था इस मील का नाम है—माल्वा यूनाइटेड मिल्स। 1966 मे उस मील के ऊपर 8, 40,070 रु० प्राविडेन्ट फण्ड का और 5, 07, 978 रुपया ई० एम० आई० का बकाया था। नियम के अनुसार जब किसी मजदूर की लड़की की शादी होती है तो प्रविडेन्ट फण्ड की रकम मे से उस को शादी के लिए रकम निकालने का अधिकार है। इस मिल के मजदूरो की लड़किया कुवारी बैठी रही। लेकिन उस मजदूर को उस की जमा रकम मे से एक पैसा भी नही मिला, मैंने इस सदन मे अनेका बार इस सवाल को उठाया मिल मालिक इस रकम को जमा नही करा रहे है और सरकार को वसूल करने की कोई चिन्ता नही है। सरकार चाहे तो लैंड रेवेन्यू की तरह उस रकम को वसूल कर सकती है लेकिन सरकार ने वर्षों तक कोई कार्यवाही नही की? नियम के अनुसार रकम काटने के 15 दिनो के अन्दर उसे सरकारी खजाने मे जमा कराना चाहिए। और यदि वह ऐसा नही करता है तो उस मिल मालिक को 6 महीने की सजा हो सकती है आप बतलाइये आप ने कौन से मिल मालिक को कठघरे में लाकर खड़ा किया? 1966 मे उस की तरफ 18 लाख रुपया बकाया था 1967 में वह रकम 31 लाख हो गई, 1969 मे 50 लाख हो गई, 1970 मे 61 लाख हो गई 1972 म 80 लाख 87 हजार 250 रुपए हो गई। यह तो सिर्फ प्राविडेन्ट फण्ड की रकम थी, ई० एम० आई० मे उस की तरफ 31,55,292 रुपए बकाया थे। ई० एस० आई० का रुपया जमा न होने से मजदूर को दवाई भी नही मिल सकती, जब कि उस के वेतन मे वह रुपया काटा जाता रहा। आज मजदूर काटी हुई रकम से कारखाना चल रहा है और जब मजदूर बूढ़ा होकर घर जाता है तो उस से कहा जाएगा—जैसे खाली ऊचे हाथ करके फाटक से बाहर निकला। इस म बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है।

सभापति जी, मंत्री महोदय भी एक श्रमिक परिवार के हैं, और यह सरकार भी नहीं चाहती कि गरीबों के साथ अन्याय हो —तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ? आप कारखानेदारों को मुआवजा दे रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर को अपने घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं मजदूर की यह कीमत आज हमारे मुल्क में है। एक मिल की तरफ 83 लाख 26 हजार 312 रुपया प्रावीडेंट बकाया है, लेकिन उस को भी मुआवजे का हजार रुपया मिलेगा।

मैं आप से पूछना चाहता हूं —प्रायोरिटी का क्या मतलब है ? मान्वा मील की तरफ 1972 में मजदूरों का 1,03,20,553 रुपया बकाया था, लेकिन उस को मआवजा मिलेगा—94 लाख रुपया, जिस में से 1, 12,52,000 रुपया तो आप का सिक्योर्ड लोन है, जो आप मजदूरों की रकम में पहले वसूल कर लेंगे—फिर मजदूर के लिए क्या बचेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर फिर से विचार करें। जो आप का राष्ट्रीकरण है उस की सफलता मजदूरों के सहयोग पर निर्भर करती है, अगर मजदूरों को नाराज करेंगे, उन को के तन में से काटी गई रकम उन को नहीं मिलेगी और उन्हें ग्रेच्युटी भी न देंगे तो अन्त में उन को खाली हाथ फाटक से बाहर जाना पड़ेगा, तो इस में बुरी बात क्या हो सकती है ?

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं—1972–73 का वर्ष टैक्सटाइल मिलों के लिए इतने फायदे का गया है, कि आमद टैक्सटाइल मिलों के इतिहास में ऐसा वर्ष नहीं गया 1943 और 1948 के बाद 1972–73 का ही साल ऐसा साल है जिस में टैक्सटाइल मिलों ने काफी कमाया और आप के राष्ट्रीकृत मिलों के मजदूरों ने इस में बड़ा जबरदस्त सहयोग दिया है। मैं आप को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय इन मिलों का टेक ओवर हुआ था, उस समय कुछ जगह मजदूरों ने कहा था कि गवर्नमेंट द्वारा कारखाना चलाने में हम अपना वेतन कटाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपना वेतन कट करा सहयोग दिया।

सभापति महोदय आप कितनी देर और चाहते हैं ?

श्री रामसिंह भाई : साढ़े पांच बजे तक।

सभापति महोदय : आप की पार्टी की तरफ से 22 लोग बोलने वाले हैं—अगर सब को मौका दिया जाए तो 7 मिनट हर एक के हिस्से में आते हैं....

श्री रामसिंह भाई : एक मिनट और दे दिजिए।

सभापति महोदय मैंने 20 मिनट आप को दिए हैं—आप स्वंय सोच सकते है कि आप ने कितने साथियों का समय ले लिया है।

श्री रामसिंह भाई सिर्फ एक मिनट और लूगा।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं—मिलों को आप जो मुआवजा देना चाहते हैं वह किस हिसाब से दे रहे हैं। मैंने देखा है अहमदाबाद जूपिटर मिल को जिस में केवल 1325 लूम्ज है, उस को 2 करोड़ 35 लाख 68 हजार मुआवजा दे रहे हैं, जब कि इण्डिया यूनाइटेड मिल को जिस में 6325 लूम्ज है, केवल 1 हजार मुआवजा दे रहे है। इसलिए में जानना चाहता हू कि सिक-टैक्सटाइल मिल्ज के मालिको को जो मुआवजा आप देने जा रहे हैं, उस का हिसाब कैलकुलेशन क्या है, उस का तरीका क्या है ?

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (BOMBAY CENTRAL): In the first instance I want to welcome this bill. Goernment have taken quite sometime to arrive at this conclusion that they should nationalise these mills. They did not start with the idea of helping labour. They started with the idea of

[Smt. Roza Deshpande]

ing the mill on lease and helping mill owners who were losing. This very theory has brought about certain great failures in this Bill. For instance a mill in Bombay, Sakseria Mill, was taken on lease for one year because the mill owners w . Then the Government made profits in just one year and they returned it to the mill owners. Again he made losses and again the Government took it up on lease and later on handed over to the mill owner. Then that mill was closed for many years. The General Secretary of the A.I.T.U.C. Shri Dange had to climb the gates of that mill and told the Government that it was high time they took it over and nationalised it. That is why I say they started with the idea of helping the mill owners and not helping the workers.

MR. CHAIRMAN You can continue tomorrow.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

C.B.I. INQUIRY INTO LAND DEAL SCANDAL OF CUTTACK STATION OF A.I.R.

MR. CHAIRMAN : We will now take up half-an-hour discussion. Before we take it up I should like to point out to the House that at least I would wish to go by the rules and I hope you would cooperate.

Rule (55) says :

> "There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

Now, if we have to finish this in half an hour, I would need your cooperation; to be strictly within the rules, to make a short statement I will give you five minutes.

SHRI SURENDRA MOHANTY (KENDRAPARA) : Five minutes would not do.

MR. CHAIRMAN : I would not go beyond half-an hour.

SHRI SURENDRA MOHANTY : I am grateful to you for your guidance But I can show you umpteen instances where.....

MR. CHAIRMAN : I am not concerned with those umpteen instances. I will go by the rules.

SHRI SURENDRA MOHANTY : How much time will I get ?

MR. CHAIRMAN : You will get ten minutes.

SHRI SURENDRA MOHANTY : I would like to preface my observations by the remarks that I have no intention to politicalise the issue, or scandalise any individua , institution or government, as far as this particular matter is concerned. My only intention is to put this All-India Radio land deal in Cuttack in its legal perspective and to urge upon the hon. Minister to lay the copy of the CBI Report on the land deal on the Table of the House so that we all know the facts. What I am interested with, and I am sure what the House is interested with, is to know the facts. I have no intention, I repeat, either to scandalise anybody or to politicalise the issue.

The genesis of the matter is like this. It will be recalled that in the year 1969 the Government of India had acquired about two acres of land in Cuttack for the purpose of constructing staff quarters for the All India Radio employees at